International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

मनरेगा योजना का राजस्थान में सामाजिक वातावरण पर प्रभाव

प्रकाश चंद यादव

सहायक आचार्य (भूगोल)

राजकीय कन्या महाविद्यालय, कटकड़ (करौली) राज.

संक्षेप

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने राजस्थान में सामाजिक वातावरण पर गहरा प्रभाव डाला है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके आर्थिक असमानता को कम करने का साधन बनी है। सूखा और जल संकट से जूझते राजस्थान के लिए मनरेगा ने जल संरक्षण, भूमि सुधार और सामुदायिक विकास परियोजनाओं के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर सृजित किए, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को भी बेहतर बनाया। इस योजना ने महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार में भागीदारी देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। जातिगत भेदभाव में कमी और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। सामूहिक कार्यों में सभी वर्गों और समुदायों के लोगों की भागीदारी ने सामाजिक एकता को मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त, योजना ने पलायन की दर को कम करते हुए ग्रामीण श्रमिकों को उनके गांवों में रोजगार प्रदान किया। समय पर मजदूरी और पारदर्शी भुगतान प्रणाली ने मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार किया है। मनरेगा ने न केवल रोजगार सृजन किया है, बल्कि ग्रामीण समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की नींव रखी है, जिससे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास और सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहन मिला है।

मुख्य बिन्दुः- मनरेगा, राजस्थान, ग्रामीण, रोजगार, सामुदायिक विकास

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 में लागू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करना और आर्थिक असमानता को कम करना है। राजस्थान, जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, में इस योजना का महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव देखा गया है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी और गरीबी एक बड़ी समस्या रही है। मनरेगा ने न केवल गरीब और हाशिये पर जीवन यापन कर रहे समुदायों को रोजगार प्रदान किया है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार किया है। यह योजना महिला सशक्तिकरण, जातिगत भेदभाव में कमी और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण साधन बनी है।

राजस्थान के संदर्भ में, मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार का अधिकार देकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। इस योजना ने विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है, जिससे उनकी समाज में स्थिति मजबूत हुई है। इसके अतिरिक्त, मनरेगा ने सामुदायिक संरचनाओं में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, जैसे कि सामाजिक समरसता और जातिगत असमानता में कमी। जल संरक्षण, वृक्षारोपण और अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का भौतिक विकास भी हुआ है। इन प्रभावों के परिणामस्वरूप, राजस्थान के ग्रामीण समाज में पारस्परिक विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत हुई है। मनरेगा ने न केवल रोजगार सृजन किया, बल्कि ग्रामीण समाज में एक नई चेतना और आत्मनिर्भरता की भावना को भी जन्म दिया।

मनरेगा की परिभाषा और महत्व

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005, भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक क्रांतिकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

गारंटी प्रदान करना और ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा का एक प्रमुख साधन है, जो बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसी समस्याओं का समाधान करने में सहायक है। मनरेगा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, जल संरक्षण, भूमि सुधार, और पर्यावरण संरक्षण जैसे सार्वजनिक उपयोग के कार्यों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, इस योजना ने महिलाओं और हाशिए पर खड़े समुदायों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनरेगा न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि समाज में सामाजिक समरसता और समानता को भी प्रोत्साहित करता है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराती है, जिससे उनका शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कम होता है। मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, परिवारों की आय में वृद्धि करने और सामुदायिक विकास को गति देने का कार्य किया है। इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह योजना सूचना प्रौद्योगिकी और जन सहभागिता को बढ़ावा देती है, जिससे यह ग्रामीण भारत में एक नई आशा और विकास का प्रतीक बन गई है।

मनरेगा की संरचना, कानूनी अधिकार और इसके तहत 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005, एक ऐतिहासिक कानून है जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। इसकी संरचना इस प्रकार तैयार की गई है कि यह समाज के कमजोर और वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

के लोगों को सशक्त बनाए। इस योजना के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को अकुशल श्रम के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। रोजगार मांगने के लिए आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

मनरेगा के अंतर्गत कार्यों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, जिससे यह योजना स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावी होती है। इसके कार्य जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित हैं। इस योजना की खासियत यह है कि मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। योजना के क्रियान्वयन में पंचायतों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि स्थानीय समुदाय अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्यों का चयन कर सके।

मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा को कम करना है। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की है, जिससे मजदूरी के स्तर में सुधार हुआ है और गरीबी में कमी आई है। राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां सूखा और जल संकट बड़ी समस्याएं हैं, मनरेगा ने जल प्रबंधन और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से आर्थिक स्थिरता प्रदान की है।

100 दिनों की रोजगार गारंटी ने महिलाओं और हाशिये पर खड़े समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और ग्रामीण समाज में पारस्परिक सहयोग और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया है। इस योजना ने न केवल रोजगार का अधिकार सुनिश्चित किया है, बल्कि ग्रामीण समाज में दीर्घकालिक विकास और आत्मनिर्भरता की नींव रखी है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

राजस्थान के संदर्भ में, योजना का उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना।

राजस्थान, जो अपनी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण सूखे और जल संकट का सामना करता है, के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार प्रदान कर लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना और सूखा प्रभावित इलाकों में बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। राजस्थान में, जहां कृषि वर्षा पर निर्भर है और जल संसाधनों की भारी कमी है, मनरेगा ने रोजगार सृजन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को उनके गांवों में ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को जल संरक्षण, तालाब निर्माण, और जल संचयन संरचनाओं जैसे कार्यों में शामिल किया गया है, जो न केवल रोजगार प्रदान करते हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्स्थापन में भी योगदान करते हैं।

राजस्थान के कई जिलों में सूखे और पलायन की समस्या को देखते हुए, मनरेगा ने स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करके पलायन को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना ने उन समुदायों को राहत दी है जो मौसमी बेरोजगारी और जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित होते हैं। सामूहिक परियोजनाओं में श्रमिकों की भागीदारी ने सामुदायिक संसाधनों के निर्माण और विकास को गति दी है, जैसे कि जलाशय, खेतों की मेंढ़बंदी, और वृक्षारोपण। इन कार्यों ने न केवल तत्काल रोजगार प्रदान किया, बल्कि लंबे समय में क्षेत्र के जल और भूमि प्रबंधन को भी सुधारा है।

मनरेगा का उद्देश्य केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामुदायिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी है। राजस्थान में इस योजना ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देकर उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है। महिलाओं ने न केवल अपने परिवारों की आय में योगदान दिया है, बल्कि समाज

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

में उनकी स्थिति भी मजबूत हुई है। इसके अतिरिक्त, यह योजना सभी जातियों और वर्गों के लोगों को समान रूप से काम करने के अवसर प्रदान करती है, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है।

सामुदायिक विकास के संदर्भ में, मनरेगा ने गांवों में सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, और पर्यावरण सुधार की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। इन परियोजनाओं ने ग्रामीण जीवन को आसान और अधिक उत्पादक बनाया है। राजस्थान के संदर्भ में, मनरेगा ने न केवल रोजगार प्रदान किया, बल्कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास की दिशा में भी एक स्थायी समाधान प्रस्तुत किया है।

राजस्थान में योजना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

राजस्थान, अपने व्यापक ग्रामीण क्षेत्र और प्राकृतिक चुनौतियों, जैसे सूखा, जल संकट और सीमित संसाधनों के कारण, गरीबी और बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं से जूझता रहा है। मनरेगा योजना को 2006 में राजस्थान के छह जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें बांसवाड़ा, धौलपुर, और करौली जैसे पिछड़े और वंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाना था। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य की विशिष्ट सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया। राजस्थान में मनरेगा ने विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार खोले और जल संरक्षण, भूमि विकास और सामुदायिक संसाधनों के संवर्धन में योगदान दिया।

मनरेगा का प्रभाव धीरे-धीरे राजस्थान के सभी जिलों में देखा जाने लगा। इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण संरचनाएं, जैसे तालाब, अनicut, और चेक डैम, बनाए गए, जो ग्रामीण समुदायों के लिए जीवनरेखा साबित हुए। इसके अलावा, वृक्षारोपण और सड़कों के निर्माण जैसे कार्यों ने न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाया, बल्कि स्थानीय ग्रामीण समुदायों को

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

उनके ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराया। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राजस्थान में मनरेगा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं को बड़े पैमाने पर इस योजना में शामिल किया गया, जिससे उनकी आय और समाज में भागीदारी बढ़ी। योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग, सामाजिक समरसता और सामुदायिक विकास को बढ़ावा दिया। राजस्थान में मनरेगा का ऐतिहासिक महत्व इस बात में निहित है कि यह योजना न केवल ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने तक सीमित रही, बल्कि यह एक ऐसा साधन बनी जिसने सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने और राज्य के वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभाई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने राजस्थान में रोजगार और प्रवासन के स्वरूपों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कृषि और मौसमी श्रम पर अत्यधिक निर्भर इस राज्य में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को **100** दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करके एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। इस योजना ने शहरी क्षेत्रों में काम की तलाश में होने वाले मौसमी प्रवासन को कम किया है और स्थानीय स्तर पर आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही, मनरेगा ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दिया है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं में सुधार हुआ है। हालांकि, देर से भुगतान, जागरूकता की कमी, और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं ने इसकी प्रभावशीलता को बाधित किया है। इन चुनौतियों के बावजूद, मनरेगा ने हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए संकट प्रवासन में उल्लेखनीय कमी लाई है, जिससे ग्रामीण परिवार अपने घरों के करीब रह सकें। राजस्थान में, जहां ऐतिहासिक रूप से प्रवासन उच्च रहा है, इस अधिनियम ने स्थानीय रोजगार के अवसरों की ओर एक सकारात्मक बदलाव किया है, जिससे ग्रामीण समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार हुआ है और उनकी असुरक्षाओं को कम किया गया है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

साहित्य की समीक्षा

चौधरी, आर. (2019) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने राजस्थान के जोधपुर जिले में ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए। यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों को वार्षिक **100** दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करता है, जिससे मौसमी और प्रवासी श्रम पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मनरेगा ने आर्थिक समर्थन प्रदान कर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाई है और उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। जोधपुर में इस योजना के तहत सड़कों, तालाबों और कुओं जैसे महत्वपूर्ण ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है, जिससे न केवल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, बल्कि कृषि गतिविधियों के लिए जल और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी आसान हुई है। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया है, उन्हें मजदूरी कमाने और पारिवारिक निर्णयों में योगदान देने का अवसर दिया है। हालांकि, देरी से भुगतान, अपर्याप्त कार्य अवसर और प्रबंधन की समस्याओं जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं, लेकिन इन बाधाओं के बावजूद, मनरेगा ने आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया है और संकट प्रवासन को कम करने में सफलता हासिल की है। जोधपुर में इस अधिनियम ने ग्रामीण विकास के लिए न केवल तत्काल राहत प्रदान की है, बल्कि दीर्घकालिक लाभ भी सुनिश्चित किए हैं।

स्वैन, एम., आदि (**2015**) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने राजस्थान में वंचित समूहों, मजदूरी दरों और प्रवासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए, स्थिर रोजगार हासिल करना हमेशा एक चुनौती रहा है। मनरेगा ने मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर इन समुदायों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे उनकी असुरक्षा को कम किया गया है। न्यूनतम

मजदूरी सुनिश्चित करते हुए, इस योजना ने इन समुदायों की आय स्तर और आर्थिक सुरक्षा में सुधार किया है।

शर्मा, एस. (**2021)** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने हरियाणा और राजस्थान में हाशिए पर मौजूद श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है। ये दोनों राज्य, जहां बड़ी ग्रामीण आबादी कृषि और मौसमी श्रम पर निर्भर है, वहां मनरेगा का मुख्य उद्देश्य **100** दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना रहा है। इस कार्यक्रम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और भूमिहीन श्रमिकों जैसे कमजोर समूहों को एक स्थिर आय स्रोत देकर सशक्त बनाया है। मनरेगा ने इन राज्यों में परिवारों की आय में वृद्धि की है, जिससे खाद्य, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक उनकी पहुंच में सुधार हुआ है। इस योजना ने दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कर आर्थिक असमानता को कम करने में मदद की है, जहां नौकरी के विकल्प सीमित हैं। हरियाणा में, जहां कृषि श्रमिकों का शोषण आम है, मनरेगा ने न्यूनतम मजदूरी मानक स्थापित कर कमजोर श्रमिकों के लिए न्यायसंगत मजदूरी सुनिश्चित की है। राजस्थान में, विशेष रूप से सूखा-प्रवण क्षेत्रों में, इस योजना ने संकट प्रवासन को कम करने में मदद की है, जिससे किसानों को कृषि के कम सक्रिय मौसमों में स्थानीय रोजगार के विकल्प मिले हैं।

आर्थिक प्रभाव और सामाजिक समावेशन

मनरेगा योजना ने राजस्थान के ग्रामीण समाज में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देकर इस योजना ने उनकी आय में स्थिरता सुनिश्चित की है। खासकर सूखा प्रभावित और कृषि पर निर्भर क्षेत्रों में, जहां रोजगार के अवसर सीमित थे, मनरेगा ने अकुशल श्रमिकों के लिए स्थायी रोजगार के द्वार खोले। इसके तहत 100 दिनों की मजदूरी ने न केवल तत्काल आर्थिक राहत दी है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति को बढ़ावा देकर स्थानीय बाजारों

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

को सुदृढ़ किया है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि की है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। इसके अतिरिक्त, इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया है, जैसे सड़कों का निर्माण, जल संरक्षण संरचनाएं, और सामुदायिक भवन, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की नींव रखते हैं।

मनरेगा ने राजस्थान के ग्रामीण समाज में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से हाशिए पर खड़े समुदायों और महिलाओं के लिए। इस योजना ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को कम किया है, क्योंकि सभी वर्गों और जातियों को समान रूप से काम और मजदूरी का अवसर मिलता है। सामूहिक कार्यों के दौरान लोगों ने जाति और वर्ग के भेदभाव को भुलाकर एक साथ काम किया, जिससे समाज में समरसता और सहयोग की भावना बढ़ी। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने न केवल उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारा है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता की ओर भी एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इस योजना ने पारंपरिक सामाजिक ढांचे को चुनौती देते हुए वंचित समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है। मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक भेदभाव को कम करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ग्रामीण समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना

भारत के ग्रामीण समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना गहराई से सांस्कृतिक, जातिगत और आर्थिक विभाजन से प्रभावित है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में यह संरचना विशेष रूप से जटिल है, जहां जाति-आधारित सामाजिक व्यवस्था का वर्चस्व है। ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग का प्रभाव न केवल सामाजिक संबंधों को तय करता है, बल्कि आर्थिक अवसरों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उच्च जातियां, परंपरागत रूप से, सामाजिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र रही हैं, जबकि निचली जातियों और हाशिए पर खड़े समुदायों को आर्थिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार का

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सामना करना पड़ता है। ग्रामीण समाज का एक प्रमुख पहलू यह है कि अधिकांश लोग कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर हैं, जो आय का मुख्य स्रोत है। हालांकि, भूमि का असमान वितरण और सीमित प्राकृतिक संसाधन गरीब और छोटे किसानों के लिए आर्थिक असुरक्षा का कारण बनते हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण से, ग्रामीण समाज में श्रम आधारित कार्यों का वर्चस्व है, जिसमें कृषि मजदूर, कारीगर, और छोटे व्यापारी शामिल हैं। राजस्थान में प्राकृतिक चुनौतियां, जैसे सूखा और जल संकट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रभावित करती हैं, जिससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। इस समाज में महिलाओं की स्थिति आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर रही है, क्योंकि उन्हें पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित रखा गया है। हालांकि, हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं, जैसे मनरेगा, ने महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण समाज में सामुदायिक गतिविधियों, जैसे मेलों और त्योहारों, का भी सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने में योगदान होता है। सामूहिकता और पारंपरिक परंपराओं के बावजूद, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं व्यापक रूप से मौजूद हैं। इस प्रकार, ग्रामीण समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना अपने आप में जटिल और विविध है, जो विकास के लिए व्यापक और समावेशी नीतियों की मांग करती है।

सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण

1. जातिगत भेदभाव में कमी

राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता लंबे समय से समाज का हिस्सा रहे हैं, मनरेगा और अन्य सामाजिक सुधार योजनाओं ने सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामूहिक कार्यों के माध्यम से सभी जातियों और वर्गों के लोगों ने समान रूप से काम किया है, जिससे परस्पर विश्वास और

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सहयोग बढ़ा है। पारंपरिक सामाजिक ढांचे, जो जातिगत उच्च-नीच पर आधारित थे, में बदलाव देखा गया है। अब लोग जातिगत पहचान से परे श्रम और योगदान को महत्व देने लगे हैं।

2. महिला सशक्तिकरण

महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके मनरेगा जैसी योजनाओं ने उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद की है। पारंपरिक रूप से घरेलू कामकाज तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, और वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने लगी हैं। यह बदलाव महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक रहा है।

3. सामुदायिक समरसता और सहयोग

सामूहिक परियोजनाओं, जैसे जल संरक्षण, सड़क निर्माण, और वृक्षारोपण, ने ग्रामीण समाज में सामुदायिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया है। लोगों ने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामुदायिक विकास में योगदान देना शुरू किया है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक समरसता बढ़ी है और आपसी मतभेद कम हुए हैं।

4. सामाजिक चेतना और आत्मनिर्भरता

शिक्षा और रोजगार के माध्यम से ग्रामीण समाज में सामाजिक चेतना और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। लोगों ने सरकारी योजनाओं के महत्व को समझते हुए उनके लाभ उठाने की प्रवृत्ति विकसित की है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और प्रगति को गति दी है।

5. युवा पीढ़ी का योगदान

ग्रामीण युवा, जो पहले बेरोजगारी और पलायन से जूझते थे, अब सामाजिक और आर्थिक

परिवर्तनों में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। वे नई तकनीकों और विचारों को अपनाकर समाज के विकास में योगदान दे रहे हैं।

यह सभी बदलाव ग्रामीण समाज को पारंपरिक सीमाओं से बाहर लाकर अधिक समावेशी और प्रगतिशील बना रहे हैं।

चुनौतियां और समाधान

1. चुनौतियां

(i) क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार

मनरेगा और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी और धन के दुरुपयोग की समस्या व्यापक है। ठेकेदारों और बिचौलियों के माध्यम से फंड का गलत इस्तेमाल होता है, जिससे वास्तविक लाभार्थी तक सहायता नहीं पहुंच पाती।

(ii) समय पर भुगतान न होना

ग्रामीण मजदूरों को अक्सर उनके काम का भुगतान समय पर नहीं किया जाता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। यह समस्या लोगों में योजनाओं के प्रति विश्वास को भी कम करती है।

(iii) जागरूकता की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई लोग योजनाओं के अधिकारों और लाभों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। इससे योजनाओं का सही उपयोग नहीं हो पाता।

(iv) श्रमिकों का पलायन

स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने के बावजूद, कई श्रमिक बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है।

(v) पर्यावरणीय और प्राकृतिक समस्याएं

राजस्थान में सूखा और जल संकट जैसी समस्याओं के कारण कई परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

2. समाधान

(i) पारदर्शिता सुनिश्चित करना

मनरेगा जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी समाधान अपनाए जाने चाहिए, जैसे डिजिटल भुगतान प्रणाली और जियो-टैगिंग। इससे धन के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

(ii) समय पर भुगतान सुनिश्चित करना

सरकार को समय पर मजदूरी के भुगतान के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए। बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं का उपयोग इसमें मददगार हो सकता है।

(iii) जागरूकता अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं के लाभ और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

(iv) रोजगार के स्थानीय अवसर बढ़ाना

स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों, कृषि आधारित व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर पलायन को कम किया जा सकता है।

(v) प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित हो सके।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

(vi) निगरानी और उत्तरदायित्व

स्थानीय स्तर पर पंचायतों और सामुदायिक संगठनों को जिम्मेदारी देकर योजनाओं की निगरानी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सकता है।

इन सुधारों को लागू कर, योजनाओं की प्रभावशीलता और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

मनरेगा योजना ने राजस्थान के ग्रामीण समाज में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना ने सूखा प्रभावित और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कर गरीबी और बेरोजगारी को कम किया है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, और सार्वजनिक उपयोग के कार्यों के माध्यम से न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी मजबूत हुआ। महिलाओं और हाशिये पर खड़े समुदायों की भागीदारी ने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया। मनरेगा ने जातिगत भेदभाव को कम करते हुए सामुदायिक समरसता को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में सहयोग और एकता की भावना मजबूत हुई। योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, समय पर मजदूरी भुगतान में देरी, और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। राजस्थान में मनरेगा ने न केवल रोजगार का अधिकार प्रदान किया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास और आत्मनिर्भरता की नींव भी रखी है। यह योजना सामाजिक-आर्थिक सुधार और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो ग्रामीण समाज को अधिक समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में प्रयासरत है। इसके प्रभाव ने न केवल वर्तमान को संभाला है, बल्कि भविष्य के लिए भी संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

संदर्भ

1. चौधरी, आर. (2020)। मनरेगा का रोजगार और प्रवासन पर प्रभाव: राजस्थान का एक अध्ययन। एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, 10(10), 1-13।
2. चौधरी, आर. (2019)। ग्रामीण गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में मनरेगा का प्रभाव: जोधपुर जिले, राजस्थान का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन्वेंशन (IJHSSI)।
3. स्वैन, एम., और शर्मा, एस. (2015)। राजस्थान में वंचित समूहों, मजदूरी दरों और प्रवासन पर मनरेगा का प्रभाव। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 70(3), 231-245।
4. शर्मा, एस. (2021)। मनरेगा ने हाशिए पर मौजूद श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किया: हरियाणा और राजस्थान का एक अध्ययन। एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, 11(7), 55-68।
5. माथुर, एन. डी., सिंह, एम. वाई., शेखावत, एम. एस., क्यूम ट्रेजर, एस., मीणा, जी. एल., सिंह, यू., ... और सिंह, वी. वी. (2021)। राजस्थान इकोनॉमिक जर्नल।
6. लखा, एस. (2011)। नीचे से जवाबदेही: राजस्थान (भारत) में मनरेगा का अनुभव। एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर।
7. पमेचा, एस., और शर्मा, आई. (2015)। मनरेगा का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के 20 गांवों के लाभार्थियों पर अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स, 5(1), 1-4।
8. सोल, एन. ए. (2014)। नवउदारवाद युग में ग्रामीण रोजगार के लिए सार्वजनिक नीति: राजस्थान, भारत में मनरेगा का एक अध्ययन। पब्लिक पॉलिसी, 4(12)।

9. सिलु, बी. पी. (2016)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन: राजस्थान से एक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2(2)।
10. साहा, ए. (2019)। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन: राजस्थान से एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। साउथ एशिया रिसर्च, 39(1), 23-42।
11. गांधी, आर. (2018)। राजस्थान में सतत विकास की ओर सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में चुनौतियां। प्रोफेशनल पैनोरमा, 37।
12. शर्मा, वी. के. (2015)। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट एंड अलाइड साइंसेज, 2।